न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

प्रकरण सं.: 39/13/अपील

विजय सिंह पुत्र श्री बागसिंह जाति राजपूत उम्र 36 साल निवासी कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

अपीलांट

ब ना म

1. मोहनकंवर पत्नी स्व. बागसिंह जाति राजपूत उम्र 65 साल निवासी कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. शंकरसिंह पुत्र स्व. बागसिंह जाति राजपूत उम्र 50 साल निवासी कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. जेठूसिंह पुत्र स्व. बागसिंह जाति राजपूत उम्र 48 साल निवासी कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. गुलाबसिंह पुत्र स्व. बागसिंह जाति राजपूत उम्र 45 साल निवासी कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. कुनणसिंह पुत्र स्व. बागसिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. ग्राम पंचायत, कांकरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
7. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

–रेस्पोंडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 136 दिनांक 25.07.2000 बतस्दीक ग्राम पंचायत, कांकरा तहसील दांतारामगढ

उपस्थिति :

1. श्री रेखराज पारीक वकील अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक– 13.10.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नं. 379, 391 किता 2 कुल रकबा 2.14 है0, खसरा नं. 377, 378, 380, 381, 384, 390, 392, 393, 488, 533 किता 10 कुल रकबा 14.65 है0 एंव खसरा नं. 1146, 1147 किता 2 कुल रकबा 2.87 है0 वाके ग्राम कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों के अपीलांट एवं रेस्पों. सं. 1 ता 5 के पूर्वज (पिता) बागसिंह की खातेदारी में भूमि खसरा नं. 379, 391 किता 2 कुल रकबा 2.14 है0 में से 1/2 हिस्सा व भूमि खसरा नं. 377, 378, 380, 381, 384, 390, 392, 393, 488, 533 किता 10 कुल रकबा 14.65 है0 में से 1/3 हि. एवं भूमि खसरा नं. 1146, 1147 किता 2 कुल रकबा 2.87 है0 में 1/4 हिस्सा रहा है। अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 1 ता 5 के पिता बागसिंह उक्त कृषि भूमियों पर जीवित अवस्था में काश्त करते चले आ रहे थे उनकी मृत्यु दिनांक 25.05.2000 को होने पर उनके वैध वारिसान अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 1 ता 5 करते चले आ रहे है। बागसिंह की मृत्यु पर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

वर्णित भूमियों का विरासत का ना.करण सं. 136 रेस्पो. सं. 6 द्वारा दिनांक 25.07.2000 को ना.करण में अपीलांट का नाम विजयसिंह होते हुए भी किशन सिंह किया गया जो कि गलत किया गया जबकि अपीलांट का नाम शुरू से ही विजयसिंह रहा है। इस कारण उक्त ना.करण निरस्त योग्य है क्योंकि उक्त तस्दीक किया गया ना.करण विरूद्ध कानून है, रेस्पो. सं. 6 ने ना.करण तस्दीक करने में ना. करण से सम्बन्धित प्रकिया का अनुसरण नहीं कर नियमों के विरूद्ध तस्दीक किया गया है, रेस्पो. सं. 6 ने ना.करण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं कर तस्दीक किया गया एवं रेस्पो. सं. 6 ने ना.करण तस्दीक करने से पूर्व विधिवत नोटिस जारी नहीं कर तस्दीक किया गया ना.करण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का नाम किशनसिंह नहीं होकर वास्तविक नाम विजयसिंह है। अपीलांट के शैक्षणिक दस्तावेज राशनकार्ड एवं वोटर पहचान पत्र में तथा अन्य दस्तावेजात में विजयसिंह ही नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमियों में विजयसिंह नाम नहीं होने से कृषि भूमियों से सम्बन्धित प्राप्त होने वाली सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है तथा किसी भी बैंक ऋण सुविधा व अन्य प्रकार की सुविधा कभी नहीं ले सकता तथा कृषि भूमियों का बेचान करना चाहे तो भी अपीलांट का गलत नाम दर्ज होने के कारण बेचान नहीं कर सकता, इस कारण उक्त ना.करण सं. 136 को निरस्त फरमाया जाना एवं पुनः अपीलांट का सही नाम से ना.करण तस्दीक करवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। अपीलांट अपनी प्राइवेट नौकरी के सिलसिले में जयपुर रहता है। उक्त ना.करण तस्दीक का शुरू से ही अपीलांट को ज्ञान नहीं था। जब प्रथम बार अपीलांट ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेना चाहा तो इस गलत तस्दीक किये गये ना.करण का ज्ञान हुआ, इसके तुरन्त बाद ही ना.करण की नकल प्राप्त करने पर उक्त गलत ना0करण तस्दीक की नकल प्राप्त हुई, नकल प्राप्ति के बाद यह अपील माननीय न्यायालय में सावधि पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विवादित ना.करण सं. 136 दिनांक 25.07.2000 द्वारा ग्राम पंचायत, कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पो. सं. 7 को पुनः सही ना. करण तस्दीक करने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अपील के समर्थन में ना. करण सं. 136 दिनांक 25.07.2000 की प्रमाणित प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका 1993 की फोटो प्रति, पहचान पत्र की फोटो प्रति, राशनकार्ड सं. 91 की फोटो प्रति, जमाबंदी सं. 2066 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 ता 7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने की स्थिति में इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. अपीलांट के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का नाम किशनसिंह नहीं होकर वास्तविक नाम विजयसिंह है। अपीलांट के शैक्षणिक दस्तावेज राशनकार्ड एवं वोटर पहचान पत्र में तथा अन्य दस्तावेजात में विजयसिंह ही नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमियों में विजयसिंह नाम नहीं होने से कृषि भूमियों से सम्बन्धित प्राप्त होने वाली सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है तथा किसी भी बैंक ऋण सुविधा व अन्य प्रकार की सुविधा कभी नहीं ले सकता तथा कृषि

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

भूमियों का बेचान करना चाहे तो भी अपीलांट का गलत नाम दर्ज होने के कारण बेचान नहीं कर सकता, इस कारण उक्त ना.करण सं. 136 को निरस्त फरमाया जाना एवं पुनः अपीलांट का सही नाम से ना.करण तस्दीक करवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। अपीलांट अपनी प्राइवेट नौकरी के सिलसिले में जयपुर रहता है। उक्त ना.करण तस्दीक का शुरू से ही अपीलांट को ज्ञान नहीं था। जब प्रथम बार अपीलांट ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेना चाहा तो इस गलत तस्दीक किये गये ना.करण का ज्ञान हुआ, इसके तुरन्त बाद ही ना.करण की नकल प्राप्त करने पर उक्त गलत ना0करण तस्दीक की नकल प्राप्त हुई, नकल प्राप्ति के बाद यह अपील माननीय न्यायालय में सावधि पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विवादित ना.करण सं. 136 दिनांक 25.07.2000 द्वारा ग्राम पंचायत, कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पो. सं. 7 को पुनः सही ना.करण तस्दीक करने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

4. हमने अपीलांट के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। ना.करण सं. 136 दिनांक 25.07.2000 ग्राम कांकरा का अवलोकन किया गया। उक्त ना.करण विरासत के आधार पर भरा गया है वकील अपीलांट द्वारा विजयसिंह के सम्बन्धित पत्रादि पेश किये गये है लेकिन ग्राम पंचायत, कांकरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है जिसके कारण यह कहना उचित नहीं होगा कि स्व. बागसिंह के किशनसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं है। रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकें। इसके विपरीत वकील अपीलांट द्वारा अपीलांट के पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजात को आधार मानते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादित ना.करण सं. 136 दिनांक 25.07.2000 द्वारा ग्राम पंचायत, कांकरा खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कर विधि अनुकूल नियमानुसार ना0करण पुनः तस्दीक की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।
5. यह निर्णय आज दिनांक 13.10.2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़